बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 284676 पटना, दिनांक 15/09/2016

ग्रा0वि07(आं0)-42/2013

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषयः- मनरेगा अंतर्गत आकस्मिकता मद की राशि के निधि प्रबंधन एवं इस योजना अंतर्गत नियुक्त मनरेगा कर्मियों के मानदेय के भुगतान के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 23.06.2016 को आयोजित विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलों के साथ समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कतिपय जिलों द्वारा प्रखंड स्तर पर MIS के प्रबंधन हेतु राशि उपलब्ध नहीं करायी जा रही है साथ हीं साथ मनरेगा कर्मियों को समय पर मानदेय का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है जिसके कारण मनरेगा योजना के कार्यान्वयन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ।

विदित हो कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में कतिपय जिलों द्वारा मनरेगा कर्मियों के मानदेय का भुगतान नहीं किये जाने के कारण राज्य द्वारा मनरेगा अंतर्गत कुल व्यय का आकस्मिकता मद में मात्र 5.81 प्रतिशत ही व्यय किया गया जिसके कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष में होने वाली आकस्मिकता मद के व्यय पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा । आप अवगत हैं कि मनरेगा के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष में होने वाले कुल व्यय का 6 प्रतिशत प्रशासनिक मद में उपलब्ध कराती है ।

e-FMS लागू हो जाने के उपरांत प्रखंड स्तर पर MIS के प्रबंधन हेतु एवं आकस्मिकता मद में निरंतर राशि की आवश्यकता रहती है । इस क्रम में सम्यक विचारोपरांत उपरोक्त के आलोक में निम्न निर्णय लिया गया है:-

1. प्रत्येक माह के अंतिम तिथि को MIS पर प्रदर्शित व्यय (मजदूरी मद + सामग्री मद) संबंधित प्रतिवेदन का 0.7 प्रतिशत MIS प्रबंधन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा FTO जेनरेट करते हुए उसे प्रखंड स्तर पर संधारित आकस्मिकता की खाता में अंतरित किया जायेगा । इसका आकलन इस प्रकार किया जाएगा कि वित्तीय वर्ष के प्रत्येक माह के अंतिम तिथि को MIS पर प्रदर्शित व्यय (मजदूरी मद + सामग्री मद) का 0.7 प्रतिशत राशि उस माह के पूर्व के माह तक यथा वित्तीय वर्ष के मई माह के आकलन हेतु अप्रैल माह तक FTO से प्राप्त की गयी राशि से घटा कर जो राशि शेष बचती है उसे FTO जेनरेट कर प्राप्त किया जायेगा । किसी भी वित्तीय वर्ष के अंत में जो भी राशि MIS प्रबंधन हेतु प्राप्त की जाती है, वह कुल व्यय (मजदूरी मद + सामग्री मद) का 0.7 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।

2. प्रत्येक माह के अंतिक तिथि को MIS पर प्रदर्शित व्यय (मजदूरी मद + सामग्री मद) संबंधित प्रतिवेदन का 0.15 प्रतिशत आकस्मिकता मद पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा FTO जेनरेट करते हुए उसे प्रखंड स्तर पर संधारित आकस्मिकता की खाता में अंतरित किया जायेगा । इसका आकलन इस प्रकार किया जाएगा कि वित्तीय वर्ष के प्रत्येक माह के अंतिम तिथि को MIS पर प्रदर्शित व्यय (मजदूरी मद + सामग्री मद) का 0.15 प्रतिशत राशि उस माह के पूर्व के माह तक यथा वित्तीय वर्ष के मई माह के आकलन हेतु अप्रैल माह तक FTO से प्राप्त की गयी राशि से घटा कर जो राशि शेष बचती है उसे FTO जेनरेट कर प्राप्त किया जायेगा । किसी भी वित्तीय वर्ष के अंत में जो भी राशि आकस्मिकता मद हेतु प्राप्त की जाती है, वह कुल व्यय (मजदूरी मद + सामग्री मद) का 0.15 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।

3. मनरेगा कर्मियों के मानदेय का भुगतान पूर्व की भांति ही किया जायेगा ।

अनुरोध है कि उपरोक्त निदेश का अनुपालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए ।

विश्वासभाजन

14/9/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव